शादी का झांसा देकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता सकुशल बरामद

श्रावस्ती (विधान केसरी)। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चन्द्र उत्तम व क्षेत्राधिकारी इकौना भरत पासवान के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष गिलौला विनय कुमार पाण्डेय व पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 219/25 धारा 137(2),87 बीएनएस से संबन्धित अभियुक्त गिरफ्तार व पीड़िता/अपहृता बरामद कर अग्रिम

विधिक कार्यवाही की जा रही है। घटना का संक्षिप्त विवरण दिनांक 18.09.2025 को गिलौला पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली की जिस पीडिता /अपहृता,अभियुक्त को आप खोज रहे है वह दोनों व्यक्ति गिलौला बस स्टैण्ड के पास खड़े होकर साधन के इन्तजार में हैं इस सूचना पर गिलौला बस स्टैंड पहुंचे जहाँ सड़के के किनारे पहले से खड़े एक लड़की व लड़के को देखकर उनके समीप आये। अचानकर से पुलिस वालों को देखकर तिलकपुर मोड़ की ओर भागने लगे शक के आधार पर भाग रहे व्यक्ति को घेरकर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो लड़के ने अपना नाम दुर्गेश पुत्र कमलेश निवासी ग्राम सलाये दा0 बेलवाखतीब थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती बताया। नियमानुसार अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लेकर व अपहृता/पीड़िता को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।